नगर निगम, अजमेर

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

नगर परिषद, अजमेर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 20 फरवरी 2006 से प्रारम्भ किया गया जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है।

प्रकरण जो प्राप्त होते है उनको सम्बन्धित विभागों में कार्यवाही हेतु भिजवा दिया जाता है, जिन पर विभागो द्वारा कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही नहीं होने की दक्ष्ाा में विभागाध्यक्षों को समय-समय पर स्मरण-पत्र व अर्द्धक्ष्ाासकीय-पत्र जारी किये जाते है, ताकि प्रार्थी को सूचना समयावधि में उपलब्ध कराई जा सके।

अपीलों पर दिनांक निक्ष्चित कर सुनवाई की जाती है, तथा निर्णय पारित कर उभय पक्षकारों को निर्णय से अवगत करा दिया जाता है।

आवेदन पत्र निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराये जाते है, तथा सामान्य पत्र के द्वारा भी आवेदन स्वीकार किये जाते है।

<u>क्षुल्क का विवरण</u>

1 आवेदन पत्र क्षुल्क :- 10/- प्रति आवेदन

2 **दस्तावेज क्षुल्क:-**

- ।4ध्3 च्चमत :- 2/- प्रति पेज
- कम्प्यूटराईज्ड पेज :- 10/- प्रति पेज
- नक् ो व अन्य प्रपत्र :- वास्तविक कीमत

<u>निगम में लोक सूचना अधिकारी</u>

लोक सूचना अधिकारी	:	आयुक्त प्र ाासन एवं आयुक्त विकास
सहायक लोक सूचना अधिकारी	:	सचिव अधि ाषी अभियंता स्वास्थ्य अधिकारी लेखाधिकारी राजस्व अधिकारी अन्यकर राजस्व अधिकारी योजना विधि अधिकारी

निगम द्वारा इन लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की जाती है।

<u>निगम में अपील अधिकारी</u>

अपील अधिकारी : महापौर

महापौर महोदय द्वारा सूचना के अधिकार के तहत् प्राप्त अपीलो पर नोटिस देकर उभय पक्षकारों लोक सूचना अधिकारी एवं प्रार्थी के मध्य सुनवाई की जाती है तथा आव यक निर्णय देकर अपील को निस्तारित करने का कार्य किया जाता है।

ुल्क की रा ि नकद/बैक ड्राफ्ट/बैकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जमा की जाती है।